Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- टोंक में डॉ.के.एन. मोदी विश्वविद्यालय बनस्थली रोड, निवाई में डॉ. मीनू गंगल हाल एसोसियेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.) व रमेश चन्द मीणा हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई 20,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया।

जयपुर, दिनांक 22 मई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर, के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपिया **डॉ. मीनू गंगल हाल एसोसीएट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.), डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय व रमेश चन्द मीणा हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई जिला टोंक** को 20,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय बनस्थली रोड निवाई में वर्ष 2024–26 बी.एड. दो वर्षिय कोर्स कर रहा है। आरोपिया डॉ. मीनू गंगल हाल एसोसीयेट प्रोफेसर (एच.ओ.डी.), डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय व आरोपी रमेश चन्द मीणा हाल असिस्टेंट प्रोफेसर (सहयोगी) डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, वनस्थली रोड, निवाई आपस में मिलीभगत कर परिवादी की अनुपस्थिति को सही करने व मुख्य परीक्षा में बैठाने व प्रवेश पत्र देने की एवज में 23,000/– रूपये रिश्वत राशि मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था। दिनांक 21.05.2026 को वक्त मांग सत्यापन आरोपीगण द्वारा 23,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर रिश्वत राशि देने पर परिवादी को मुख्य परीक्षा में बैठने हेतु व प्रवेश पत्र देने हेतु कहां गया।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में टी.एल.ओ. **ऋषिकेश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपिया डॉ. मीनू गंगल ने अपने कार्यालय कक्ष में अपने सहयोगी आरोपी रमेश चन्द मीणा हाल को परिवादी से रिश्वत राशि 20,000/– रूपये अपनी उपस्थिति में दिलवायी। आरोपी रमेश चन्द मीणा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर गिनकर अपनी पेंट की जेब में रखी। जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपीगणों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगणों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।